

THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 7.3.84

NOTIFICATION
INCOME TAX

No. 5704 (F.No. 203/19/84-IIA. II) : It is hereby notified for general information that the following scientific research programme has been approved for the period specified below for the purpose of sub-section (2A) of the Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with rule 6(iv) of the Income-tax Rules, 1962 by the Secretary, Department of Science & Technology, New Delhi:

Name of the scientific research project	:	Development of Flame retardant finishes for Acrylic blended Fabrics.
Name of the sponsor	:	M/s. Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Baroda.
Implementing lab.	:	The Bombay Textile Research Association Ltd., Bombay.
Date of commencement	:	10th January, 1983
Date of completion	:	9th January, 1985
Estimated outlay	:	Rs. 2,22,000/-

Bombay Textile Research Association, Bombay is approved under section 10(2)(xiii) of the Income-tax Act, 1922 vide notification No. S.R.O. No. 3466 dated 17-11-1954.

becessal
(M.G.C.GOYAL)
UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

Malik/

भारत के राजपत्र के भाग I, छाल 3(१)में प्रकाशित

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7.3.84

अधिसूचना

आयकर

सं0 5704 (फा० सं0 203/19/84-आ०क०नि०-१) : सर्वसाधारण को जानकारी के लिए स्तद-द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को, आयकर नियम, 1962 के नियम 6(IV) के साथ पठित आयकर अधिनियम १९६१ के लिए अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (२क) के प्रयोजनार्थ नीचे विविरित अवधि के लिए अनुमोदित किया है :-

अधिनियम वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना का नाम	: डिवेलमेंट आफ फ्लेम रिटार्ड एनिशिज फार एक्रीलिक ब्लैडिड एक्स्प्रेस
प्रायोजक का नाम	: मेसर्स इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन, लि० बड़ौदा।
कार्यान्वयन करने वाली प्रयोगशाला	: डि बम्बई टेस्टाइल रिसर्च सेसियन, लि० बम्बई।
प्रारम्भ करनेकी तारीख	: 10 जनवरी, 1983
पूरा करने की तारीख	: 9 जनवरी, 1985
अनुमानित परिव्यय	: 2, 22, 000/-₹

बम्बई टेस्टाइल रिसर्च सेसियन, बम्बई आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 10(2) (x 11) के अंतर्गत अनुमोदित है देखिए, अधिसूचना का०आ० सं0 3466, दिनांक 17-11-54

२८५७ २११८८८
(मदन गोपाल चन्द गोप्यत)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतीलिपि अमिजी पाठानुसार प्रेषित